न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 156/2017/225 आर टी ए

1. काशीराम पुत्र बलराम जाति जाट निवासी भून्नावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जयदेव पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भून्नावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. अजयकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भून्नावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. साहबराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चक 14 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. चन्द्रभान पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भून्नावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भून्नावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीमति गुडडी देवी बेवा रामप्रताप जाति जाट निवासी भून्नावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. श्रीमति शांति देवी बेवा बलराम जाति जाट निवासी भून्नावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.01.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 199/2016 बअनवानी साहबराम बनाम चन्द्रभान आदि

उपस्थित :–
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजेन्द्र सिंह मोट्यार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 6

निर्णय दिनांकः–13.07.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 साहबराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर कथन किया कि चक 11 एमडी खाता सं. 70/59 प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 6, 7, 14, 15, 16, 17 कुल 1.518 है0 खातेदारी भूमि रेस्पो. सं. 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मे जाने हेतु प.न. 157/322 कि.न. 2 ता 25 मे है। इसी मुरब्बा की पत्थर लाईन 322 पर रास्ता स्वीकृत व चालू है। रेस्पो0 की भूमि के कि.न. 16 व 17 के चिपते हुए खाता सं. 21/16 सांझा खाता के कि.न. 24 व 25 चन्द्रभान, जगदीश, गुडडी देवी, शांति देवी रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के हिस्सा मे मुताबिक घरूबंटवारा मे आये है। रेस्पो0 सं. 1 साहबराम को अपनी भूमि मे

जाने हेतु प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे रास्ते की आवश्यकता थी जो चन्द्रभान आदि रेस्पो0 सं0 2 ता 5 रास्ते की एवज मे भूमि लेकर गत 20 वर्षो से रास्ता दे रखा है। रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी भूमि मे से रास्ता के बदले मे कि.न. 7, 16 व 17 मे आधा आधा बिस्वा भूमि रेस्पो0 सं. 2 ता 5 को दे रखी है। रेस्पो0 सं. 1 के अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के संयुक्त खाता की भूमि मे से प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे एक बिस्वा रास्ता चालू होना बताकर उक्त रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहते हुए अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 को तलब करने का आदेश दिया व दिनांक 13.07.16 से 09.12.16 तक अप्रार्थीगण की तलबी हेतु चलती गई व दिनांक 09.12.16 को आगामी पेशी दिनांक 11.01. 17 को अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज करके बहस सुनी जाकर दिनांक 23.01.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित करके अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के संयुक्त खाता की भूमि प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत बिना कोई जांच किये व बिना प्रभावी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय मे रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के संयुक्त खाता की भूमि चक 11 एमडी के प.न. 157/322 कि.न. 24 मे 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र मे अपलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नही दिया गया व संयुक्त खाता की भूमि रेस्पो0 सं. 2 ता 5 को घरूबंटवारा मे होनी मानकर रेस्पो0 सं. 2 ता 5 की सहमति होना मान कर एवं उक्त संयुक्त खाता की भूमि अपीलांट को बिना सुने रास्ता स्वीकृत किया है। विचारण न्यायालय मे रेस्पो0 सं. 1 ने दिनांक 11.01.17 को यह प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी अपने खेत चक 11 एमडी मे जाने हेतु पडौसी के प.न. 157/322 के मु.न. 29 कि.न. 24 के पश्चिम मे रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। दोनो पक्षो मे सहमति से प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने अपने प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे 0.019 है0 भूमि रास्ता हेतु दे दी है। इसके तबादला मे प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का अपनी भूमि के प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न .16 मे 0.010 है0 कि.न. 17 मे 0.09 है0 कुल 0.019 है0 भूमि दे दी है। इसलिये प्रार्थीगण के पास कि.न. 24 मे 0.019 है0 भूमि हो जाती है। उक्त भूमि मे प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 07.11.16 प्रस्तुत

किया गया। उक्त तबादलानामा मे रेस्पो0 सं. 1 साहबराम व रेस्पो0 सं. 3 जगदीश ने आपस मे सहमति मे 0.019 है0 भूमि का तबादला किया है जबकि चक 11 एमडी के खाता सं. 21/16 प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 व 25 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 5 की संयुक्त खाता की भूमि है जिसमे रेस्पो0 सं. 2 को तबादला करने का कोई विधिक अधिकार नही है। सह काश्तकार द्वारा अन्य सहकाश्तकारो की सहमति के लिए संयुक्त खाता की भूमि मे विशिष्ट किलो के संबंध मे मे तहरीर किया गया दस्तावेज शून्य माना जावेगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने का मुख्य आधार तबादला दिनांक 07.11.16 को माना है जबकि उक्त दस्तावेज अपीलांट के अधिकारो के विपरीत शून्य दस्तावेज है व विधि विरूद्ध दस्तावेज के आधार पर कोई भी निर्णय पारित नही किया जा सकता। रेस्पो0 के धारण की इस भूमि मे जाने हेतु कभी भी अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 5 की भूमि प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे रास्ता चालू भी रहा है जबकि रेस्पो0 कि.न. 23 मे से आवागमन करते है। विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 की भूमि मे जाने हेतु अन्य विकल्प के संबंध मे कोई जांच नही की। विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेता है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा कभी भी मौका की जांच नही की गई व मौका निरीक्षण से पूर्व अपीलांट व अन्य सहकाश्तकारो को कोई नोटिस नही दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 साहबराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर कथन किया कि चक 11 एमडी खाता सं. 70/59 प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 6, 7, 14, 15, 16, 17 कुल 1.518 है0 खातेदारी भूमि रेस्पो. सं. 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मे जाने हेतु प.न. 157/322 कि.न. 2 ता 25 मे है। इसी मुरब्बा की पत्थर लाईन 322 पर रास्ता स्वीकृत व चालू है। रेस्पो0 की भूमि के कि.न. 16 व 17 के चिपते हुए खाता सं. 21/16 सांझा खाता के कि.न. 24 व 25 चन्द्रभान, जगदीश, गुडडी देवी, शांति देवी रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के हिस्सा मे मुताबिक घरूबंटवारा मे आये है। रेस्पो0 सं. 1 साहबराम को अपनी भूमि मे जाने हेतु प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे रास्ते की आवश्यकता थी जो चन्द्रभान आदि रेस्पो0 सं0 2 ता 5 रास्ते की एवज मे भूमि लेकर गत 20 वर्षो से रास्ता दे रखा है। रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी भूमि मे से रास्ता के बदले मे कि.न. 7, 16 व 17 मे आधा आधा बिस्वा भूमि रेस्पो0 सं. 2 ता 5 को दे रखी है। प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे एक बिस्वा रास्ता चालू है, उक्त रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा प.न.

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है परन्तु उक्त संयुक्त खाता की भूमि का घरूबंटवारा किया हुआ है तथा घरूबंटवारा मे जगदीश को प्राप्त भूमि का तबादला रेस्पो0 सं. 1 साहबराम एवं जगदीश के मध्य हो गया है। रेस्पो0 सं. 1 को प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे 0.019 है0 भूमि रास्ता हेतु दे दी है। इसके तबादला मे रेस्पो0सं. 1 ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 7 को अपनी भूमि के प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न .16 मे 0.010 है0 कि.न. 17 मे 0.09 है0 कुल 0.019 है0 भूमि दे दी है। इसलिये प्रार्थीगण के पास कि.न. 24 मे 0.019 है0 भूमि हो जाती है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा तबादला मे प्राप्त अपनी भूमि मे ही रास्ता स्वीकृत करवाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के संयुक्त खाता की भूमि चक 11 एमडी के प.न. 157/322 कि.न. 24 मे 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र मे अपलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नही दिया गया व संयुक्त खाता की भूमि रेस्पो0 सं. 2 ता 5 को घरूबंटवारा मे होनी मानकर रेस्पो0 सं. 2 ता 5 की सहमति होना मान कर एवं उक्त संयुक्त खाता की भूमि अपीलांट को बिना सुने रास्ता स्वीकृत किया है। विचारण न्यायालय मे रेस्पो0 सं. 1 ने दिनांक 11.01.17 को यह प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी अपने खेत चक 11 एमडी मे जाने हेतु पडौसी के प.न. 157/322 के मु.न. 29 कि.न. 24 के पश्चिम मे रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। दोनो पक्षो मे सहमति से प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने अपने प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 मे 0.019 है0 भूमि रास्ता हेतु दे दी है। इसके तबादला मे प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का अपनी भूमि के प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न .16 मे 0.010 है0 कि.न. 17 मे 0.09 है0 कुल 0.019 है0 भूमि दे दी है। उक्त भूमि मे प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 07.11.16 प्रस्तुत किया गया। उक्त तबादलानामा मे रेस्पो0 सं. 1 साहबराम व रेस्पो0 सं. 3 जगदीश ने आपस मे सहमति मे 0.019 है0 भूमि का तबादला किया है जबकि चक 11 एमडी के खाता सं. 21/16 प.न. 157/322 मु.न. 29 कि.न. 24 व 25 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 5 की संयुक्त खाता की भूमि है जिसमे रेस्पो0 सं. 2 को तबादला करने का कोई विधिक अधिकार नही है। एक सह काश्तकार द्वारा अन्य सहकाश्तकारो की सहमति के बिना संयुक्त खाता की भूमि मे

विशिष्ट किलो के संबंध मे तबादला नही कर सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के संबंध मे ना तो मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई और ना ही प्रभावित काश्तकारान को सुनवाई अवसर दिया गया तथा ना ही प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता बाबत कोई रिपोर्ट ली गई। बिना मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने मात्र एक सहकाश्तकार द्वारा निष्पादित तबादलानामा के आधार पर संयुक्त खाता की भूमि मे विशिष्ट किलो के संबंध मे निष्पादित तबादलानामा के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया जो विधिपूर्ण नही होने के कारण पुष्टि योग्य नही है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। प्रश्नगत रास्ता अगर मौका पर चालू है तो प्रकरण का निस्तारण होने तक रास्ता चालू रहेगा तथा चालू रास्ता होने की स्थिति मे अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 चालू रास्ता मे कोई बाधा कारित नही करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official